

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पर लकड़ार कुलसंचय जीवाजी
विश्वविद्यालय के सभा द्वारा ही नियम लाव र
के नियमी अन्वय व्यापिकरी के रूपांत है।
उल्लेखन विषय पर यदि यहाँ में पर
लकड़ार दुमा द्वारा पर लकड़ार तो नियम
अधिक लिखा जाव विस्तृत सम्भव है।



प्राप्त : फॉन्टफॉन्ट
होमपेज : ०८९१-०७५१ २४४२८०५
फैसलाबाद
२४४२८०२ फैसला
फोन : (०८९१-०७५१-२३४१७६६
E-mail : jucrg_gvli@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

फैसलांक : १४/टारबखता/२०१२/ ५७८३

दिनांक : १३/१२/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की
बैठक दिनांक १६ अगस्त, २०१२ के पर क्रमांक (७२) के निर्णयानुसार संतानों नी नालिह कोलेज
ऑफ एज्यूकेशन, कोटेश्वर गोड, व्यालियर को उत्र २०१०-११ के लिये प्रस्तावित संचालित ची.एड.
पाठ्यांकन के लिये अस्थार्थ सम्बन्धता लिखन शर्तों के साथ प्रवाह ची.जारी है।

शर्ते एवं प्रतिबंध :-

१. महाविद्यालय समय पर प्रतिवर्ष विरीक्षण सम्पन्न करें।
२. २८(१७) में जो विवृति की गई है उनका अनुमोदन कार्यपालिका द्वारा करायें।
३. घण्टालय में ५० मालक पुस्तकों के शीर्षक प्रतिवर्ष क्षय करें।
४. विद्यार्थी नव वेतन वैकाशक के माध्यम से करें।
५. महाविद्यालय पोर्टफोलियम २७-२८ का फलन दृग्दिवित करें।

आदेशानुबाद
कुलसंचय

प्रति,

१. प्रबार्य, संतानों नी नालिह कोलेज ऑफ एज्यूकेशन, कोटेश्वर गोड, व्यालियर
२. सचिव, राज्यीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, गजरा शरवा, श्यामलगढ़ हिल्स, भोपाल।
३. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लालपुरा भवन, भोपाल।
४. लोकीय अधिकार संवादक, गणपतपुर शासन, उच्च शिक्षा विभाग, व्यालियर-चंबल संघाय, गोती
गांव, परिसर, व्यालियर।
५. उप-कुलसंचय (पटीका/लोपली) जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर।
६. अधीक्षक, परीक्षा नक्श क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर की ओट सूचनाएँ एवं
अवश्यक कर्तव्यांकी ढेतु।

सहायक कुलसंचय (राज्यवक्ता)